
केन्द्रीय सूचना आयोग बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका नई दिल्ली – 110067.

संचिका सं. CICOM/R/X/22/00011

दिनांक. 03.01.2023

सेवा में,

श्री संजय कुमार शुकल , प्रबंध संपादक " खबरपालिका " 180 A-B पाटलीपुत्र कॉलॉनी पटना – 800013



विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना।

महोदय/महोदया,

उक्त विषयक रेल मंत्रालय को प्रेषित आपका दिनांक 17.09.2022 का आर.टी.आई. आवेदन जिसे बिंदु संख्या 2. से संबंधित सूचना हेतु रेल मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग को दिनांक 05.12.2022 को ऑनलाइन अग्रसरित किया गया, संबंधित सूचना निम्नानुसर है:-

आवेदन शुल्क एवं दंड के रूप में प्राप्त राशि PAO (CAT), New Delhi के माध्यम से सरकारी खाते में जमा करवाई जाती है।

यदि आप उपरोक्त सूचना से संतुष्ट नहीं है तो इस सूचना की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर प्रथम अपील श्रीमती रूप अवतार कौर, प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 को की जा सकती है।

्रा। (सुबोध कुमार) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई.सेल दूरभाष – 011-26172690

केंद्रीय सूचना आयोग Central Information Commission Baba GangnathMarg /बाबा गंगनाथ मार्ग, Munirka/मुनिरका,नई दिल्ली/New Delhi -110067 Website-cic.gov.in

No.CICOM/R/X/22/00011

Date 30-12-2022

Subject:- Information sought under section 5(4) of the RTI Act, 2005.

Kindly refer to your RTI application dated 17-09-2022 received vide RTI Registration No CICOM/R/X/22/00011 and to furnish information on point No 2 is as under:-

- 1. Penalty Amount received from the CPIO is deposited in the Public Account Office (PAO), CIC. Data related to penalty on CPIOs is readily available in the Annual Report of the Central Inforamtion Commission which can be seen on the Commission's website i.e https://cic.gov.in
- 2. Appeal, if any against this reply will lie with Ms. Roop Avtar Kaur, First Appellate Authority/Addl Secy, Central Information Commission, CIC Bhawan, Baba Gang Nath Marg, Munirka, New Delhi- 110067 within 30 days of receipt of reply of the CPIO.

├ (R.P. Singh)
I/c Dak Section and CR-II
011-26161137

Copy to:-

CPIO, CIC, RTI Cell